



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738

Fax: +91-135-2769738

email: eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 815 / पी.एम.जी.एस.वाई. / सिं.ख.-दे.दून /

दिनांक 20 / 07 / 2022

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) /
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय उप वन संरक्षक मसूरी, वन प्रभाग मसूरी का पत्रांक 261/12-1 मसूरी/दिनांक 14.07.2022 (छायाप्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु जनहित में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः महोदय उपरोक्त के कम में अनुरोध करना है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु अपने स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:- उप वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्गत पत्रांक 08/32-1-2डी देहरादून, दिनांक 04.07.2022 की छायाप्रति।

पत्रांक 815 / पी०एम०जी०एस०वाई० / सिं०ख०-दे०दून / तदिनांक

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

प्रतिलिपि :- उप वन संरक्षक मसूरी, वन प्रभाग मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।

Received
20/7/2022

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड,
6-इन्दिरा नगर, देहरादून।



॥ प्रकृति: रक्षति रक्षित ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 261 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 14, / 07 / 2022

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) /
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयगत क्यारी से सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित स्थल की मसूरी वन्यजीव अभ्यारण की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 1.80 कि०मी० है (प्रमाण पत्र संलग्न)। परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि मसूरी वन्य जीव अभ्यारण की सीमा के 10.00 किमी० की परिधि के अन्तर्गत पड़ता है।

महोदय, इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। अतः उक्त के क्रम में महोदय से अनुरोध है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु जनहित में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु विचार करना चाहें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या:- / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(X)

कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण।
 वन भवन, 85/87, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 08 / 32-1-20 देहरादून, दिनांक: 04 जुलाई 2022

सेवा में,

अधिरासी अभियन्ता,
 पी०एम०जी०एस०वाई०, सि० ख०
 देहरादून।

विषय :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग की वन्यजीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 684/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि० ख०/दे०दून, दिनांक 20.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में पी०एम०जी०एस०वाई० सि० ख० देहरादून के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु चयनित स्थल की दी गई केएमएल फाइल के जीपीएस प्वाइंट (78°9'49.5" E, 30°25'38.7"N) से निकटतम हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:-

क्र०सं०	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा से	1.8 कि०मी०

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल द्वारा जी०आई०एस० तकनीक से सन्निकट आंकलित की गयी है।

भवदीय,

9/7/22
 उप वन संरक्षक
 अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

1/c

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सहस्त्रधारा-नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 4.22 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग के पत्रांक- 740/12-1 दिनांक 06.08.2022 से उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रमाण-पत्र कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी मसूरी वन्यजीव अभ्यारण की निकटतम सीमा से 1.80 कि०मी० है। प्रस्तावित परियोजना/कार्यस्थल राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार का हिस्सा नहीं है। इस परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, की आख्या के आधार पर उक्त परियोजना के निर्माण की जनहित में सहमति प्रकट की जाती है।

भवदीय,

(डा० समीर सिन्हा)

प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,(वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745891 ई-मेल-cwivw@yaho0.co.in

पत्रांक 936

/12-1

देहरादून

दिनांक 17

अगस्त 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

(डा० समीर सिन्हा)

प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड।

12/8/22

12/8/22